

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक अगस्त, 2016

पत्र संख्या-1/एल1-10-09/2012 गृ0आ0 /विभागीय अधिसूचना संख्या-2645, दिनांक 05.04.2016 द्वारा श्री दलजीत सिंह, भा0पु0से0 (2007), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0) बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 18 (B) के अन्तर्गत दिनांक 24.05.2016 से 07.06.2016 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का स्वीकृत पितृत्व अवकाश को रद्द किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-09/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अगस्त, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-09/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अगस्त, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-09/2012 गृ0आ0 6795/पटना, दिनांक 31 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री दलजीत सिंह, भा0पु0से0 (2007), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0) बिहार, पटना सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर, पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।